



NATIONAL SERVICE SCHEME Deen Dayal Upadhyaya College

Deen Dayal Upadhyaya College (University Of Delhi)

under the guidelines of

ELECTION COMMISSION OF INDIA & CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

in association with DISTRICT ELECTION OFFICER/DM, SOUTH WEST





MAKING AND CORRECTION BOOTH

- Open for all 18+ Indian Citizens
 - Documents required :-

For outsiders:

- One passport size photograph
- Aadhar card
- Class 10th marksheet
- Address proof (Electricity bill)

For DDUCians:

- One passport size photograph
- Aadhar card
- College Id Cardphotocopy



DEEN DAYAL UPADHYAYA COLLEGE, AZAD HIND FAUJ MARG, DWARKA SECTOR-3, DWARKA, NEW DELHI, DELHI 110078



11 A.M. - 3 P.M. Each Day



29'th - 30'th September







Documents required for submission of forms

Note: Black & white photo, photo in uniform, stylish/modelling photos, photos with dark glasses are not acceptable with applications.

All forms/attachments should be signed/self attest by the applicant only.

only.	ichinents should be signed/sen accest by the applicant
Form-6	Age Proof: Any one of the above with one passport size coloured photo only 1 School Certificate, Driving License, Passport, Birth Certificate issued by Birth & Death. ID Proof: Any one of the above 1. Old Voter I Card, Passport, Aadhar Card, PAN Card, Driving License, School/College/institutions recognized by board/university I Card. Address Proof:- Any one of the above 1. Latest Electricity Bill, Latest DJB Water Bill, Latest MTNL Landline Bill, For tenants:-rent agreement with stamp paper minimum rupees 50/- or as per rate of agreement (photo of landlord and tenant duly attested by notary/magistrate), Any Govt. issued proof acceptable by ERO.
Form-7	1. Applied by self: surrender of original Voter I Card. 2. Deletion incase of death: death certificate or on identity of any family member. 3. For shifting cases: by family member/neighbourer/BLO of concerned part.
Form-8	 One passport size coloured photo. Submission of original voter I card with form. Correction in name & age: as per school record/certificate. Address: as per address proof. Photo change: as per identity proof.
Form-8A	Address Proof:- Any one of the above 1. One passport size coloured photo only 2. Submission of original voter I card with form. 3. Latest Electricity Bill, Latest DJB Water Bill, Latest MTNL Landline Bill, For tenants:- rent agreement with stamp paper minimum rupees 50/- or as per rate of

agreement (photo of landlord and tenant duly

proof acceptable by ERO.

attested by notary/magistrate), Any Govt. issued





FORMS AS PER NEED

- For inclusion of name in the voter list, use Form 6.
- For change in the Assembly Constituency, use Form 6.
- For enrollment of overseas electors, use Form 6A.
- For deletion and objection of an entry in draft electoral roll, use Form 7.
- For correction of particulars in electoral roll, use Form 8.
- For change of address within the Assembly Constituency, use Form 8A.



राष्ट्रीय सेवा योजना





दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय)

भारतीय चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के दिशा निर्देशों के तहत

जिला चुनाव अधिकारी/डीएम, दक्षिण पश्चिम के सहयोग से



मतदाता पहचान पत्र

बनाना व ठीक करना बूथ कैंप आयोजित कर रहा है



• सभी 18+ भारतीय नागरिकों के लिए खुला है। • आवश्यक दस्तावेज़ :-

अन्य लोगों के लिए:

- एक पासपोर्ट साइज फोटो
- पहचान पत्र
- कक्षा 10वीं की मार्कशीट
- पता प्रमाण (बिजली बिल)

DDUC के छात्रों के लिए:

- एक पासपोर्ट साइज फोटो
- पहचान पत्र
- कॉलेज आईडी कार्ड -फोटोकॉपी



दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज, आजाद हिंद फौज मार्ग, द्वारका सेक्टर -3, द्वारका, नई दिल्ली, दिल्ली 110078



11 A.M. - 3 P.M. प्रतिदिन



29'th - 30'th सितंबर







फॉर्म जमा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

सूचना: ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, वर्दी में फोटो, स्टाइलिश / मॉडलिंग फोटो, काले चश्मे के साथ फोटो आवेदन के साथ स्वीकार्य नहीं हैं|

सभी प्रपत्र/संलग्नक केवल आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित/स्वप्रमाणित (attested) होने चाहिए।	
	आयु प्रमाणः उपरोक्त में से कोई भी एक पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो के साथ केवल 1 स्कूल प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जन्म और मृत्यु द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
	पहचान पत्र: उपरोक्त में से कोई एक
	1. पुराना मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल/कॉलेज/संस्थान ।
फॉर्म-6	पते का प्रमाण:- उपरोक्त में से कोई एक
	1. नवीनतम बिजली बिल, नवीनतम DJB जल बिल, नवीनतम MTNL लैंडलाइन बिल, किरायेदारों के लिए: - स्टांप पेपर के साथ न्यूनतम 50/ - या समझौते की दर के अनुसार किराया समझौता (जमींदार और किरायेदार की फोटो विधिवत नोटरी / मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित), ERO द्वारा स्वीकार्य कोई भी सरकार द्वारा जारी प्रमाण।
	EITO AICI CAIRAIN AICI CAICI MAIOII
	1. स्वयं द्वा <mark>रा आवेदन किया गया: मूल मतदाता पहचान पत्र</mark> का समर्पण।
फॉर्म -7	2. मृत्यु के मामले में हटाना: मृत्यु प्रमाण पत्र या परिवार के किसी सदस्य की पहचान पर
	3. स्थानांतरण मामलों के लिए: परिवार के सदस्य/पड़ोसी/ BLO संबंधित के द्वारा।
	1. एक पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो।
	2. मूल मतदाता पहचान पत्र जमा करना
फॉर्म -8	3. नाम और आयु में सुधार: स्कूल रिकॉर्ड / प्रमाण पत्र के अनुसार।
	4. पताः एड्रेस प्रूफ के अनुसार।
	5. फोटो परिवर्तनः पहचान प्रमाण के अनुसार।
	प्रमाण:- उपरोक्त में से कोई एक
	1. केवल एक पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो
	2. फॉर्म के साथ मूल मतदाता पहचान पत्र जमा करना।
फॉर्म -8A	3. नवीनतम बिजली बिल, नवीनतम DJB पानी बिल, ननवीनतम MTNL लैंडलाईन बिल, किरायेदारों के लिए: - स्टांप पेपर के साथ किराया समझौता (Rent Agreement) न्यूनतम 50/ - या समझौते की दर के अनुसार (नोटरी / मजिस्ट्रेट
	द्वारा विधिवत प्रमाणित मकान मालिक और किरायेदार की तस्वीर), कोई भी सरकार

ERO द्वारा स्वीकार्य प्रमाण जारी किया गया।







आवश्यकता के अनुसार फॉर्म

- मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 का प्रयोग करें।
- विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में परिवर्तन के लिए प्रपत्र 6 का प्रयोग करें।
- विदेशी निर्वाचकों के नामांकन के लिए फॉर्म 6A का प्रयोग करें।
- मसौदा मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि को हटाने और आपत्ति के लिए, प्रपन्न 7 का उपयोग करें।
- मतदाता सूची में विवरण में सुधार के लिए प्रपत्र 8 का प्रयोग करें।
- विधानसभा क्षेत्र के भीतर पता बदलने के लिए फॉर्म 8A का प्रयोग करें।